

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2032(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मिथाइलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन) (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2021 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन को प्रवृत्त होगा।
(3) यह निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु इसका कुछ भी निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग**- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।
- प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी**- इस आदेश में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- उल्लंघन के लिए शास्ति**- कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
मिथाइलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन)	आईएस 4566: 2020	मिथाइलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन) के लिए विनिर्देश-तकनीकी

[फा. सं.13012/17/2020-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2032(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the Methylene Chloride (Dichloromethane) (Quality Control) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the one hundred and eighty- first day from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.

2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.— Goods or articles specified in column (1) shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2), of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.— The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Methylene Chloride (Dichloromethane)	IS 4566 : 2020	Specification for Methylene Chloride (Dichloromethane)- Technical

[F. No.13012/17/2020-Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2033(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम रेड फास्फोरस (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2021 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन को प्रवृत्त होगा।
(3) यह निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु इसका कुछ भी निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग**- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।
- प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी**- इस आदेश में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- उल्लंघन के लिए शास्ति**- कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
रेड फास्फोरस	आईएस 2012: 2006, पुनः अभिपुष्ट 2016	रेड फास्फोरस - विनिर्देश

[फा. सं.13012/17/2020-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास ,अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2033(E).- In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-

- Short title, commencement and application.** - (1) This order may be called the Red Phosphorus (Quality Control) Order, 2021.